हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्रावली आज पेशी में ली गई। बहस उभयपक्ष सुनी जा चुकी है। प्रार्थी द्वारा चक 19 KSP मु.नं. 128/321(34) कि.नं. 3 के पूर्वी ओर से 16.5 फीट चौड़ाई में रास्ता स्वीकृत किये जाने का अनुतोष याचित किया गया है। अप्रार्थी सं. 1 व 5 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर असहमति जाहिर करते हुये संयुक्त खाता भूमि में रास्ता स्वीकृति का विरोध किया है।

तहसीलदार हनुमानगढ़ से प्रकरण में मौका Report प्राप्त की गई। मौका रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि प्रार्थी अपनी कब्जाकाश्त भूमि में पहुंच हेतु रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है चूंकि प्रश्नगत भूमि संयुक्त आराजी है इसलिए रास्ता प्रस्तावित नही किया जा सकता है बाद विधिवत विभाजन के रास्ता स्वीकृत किया जाना संभव होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। चूंकि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी संयुक्त है व प्रत्येक काश्तकार का संयुक्त आराजी के प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाता है, संयुक्त आराजी किरणी रास्ते पर होने के कारण पहुंच हेतु रास्ता भी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

उपलब्ध है। अतः प्रश्नगत आराजी संयुक्त
खाता की कृषि भूमि होने व संयुक्त
आराजी में प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक
इंच पर कब्जा माना जाने के कारण
प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित
प्रतीत नहीं होता है, लिहाजा प्रार्थना
पत्र अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली
नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर
की जाती है। आदेश खुले इजलास
सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़